राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/12/20	554/2020. नाथूराम / धनराम	

कार्यालय रिपोर्ट होकर पत्रावली आज प्रस्तुत हुई | पत्रावली दर्ज रजिस्टर करे | अधिवक्ता अपीलांट उपस्थित | अपील के साथ अपीलांट द्वारा सहायक कलेक्टर चौमु के समक्ष प्रस्तुत मूल वाद की पत्रावली जो उन्हें वापस लौटाई गयी संलग्न कर प्रस्तुत की गयी है | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/अपीलाट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद यह अंकित करते हुये मूल ही लौटाया गया कि "क्षैत्राधिकार में नही होने के कारण मूल वाद लौटाकर वादी वकील को निर्देशित किया जाता है कि क्षैत्राधिकार के अन्तर्गत भूमि के सन्दर्भ में पृथक से वाद पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जावे |" अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई | जिस पर बहस अभिभाषक अपीलार्थी समायत की गयी |

अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस में निवेदन किया कि पक्षकारान की कुछ आराजीयात ग्राम सिंगोद कला पटवार हल्का सिंगोद कला तहसील चौमु में स्थित है एवं कुछ आराजीयात ग्राम सरगोठ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित है जो सयुक्त खाते की आराजीयात है | जिनके सन्दर्भ में घोषणा व तकासमा का वाद सहायक कलेक्टर चौमु के समक्ष वादी/अपीलाट्स द्वारा प्रस्तुत किया गया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी के वाद पर यह अंकित करते हुये कि "क्षैत्राधिकार में नही होने के कारण मूल वाद लौटाकर वादी वकील को निर्देशित किया जाता है क्षैत्राधिकार के अन्तर्गत भूमि के सन्दर्भ में पृथक से वाद पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जावे |" अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अंकन का तात्पर्य यह हुआ की सहायक कलेक्टर चौमु के क्षैत्राधिकार में पड़ने वाली आराजीयात के सम्बन्ध में उनके समक्ष वाद प्रस्तुत किया जावे एवं शेष आराजीयात के सम्बन्ध में अन्यत्र वाद प्रस्तुत किया जावे जबकी उक्त सन्दर्भित समस्त आराजीयात पक्षकारान की सयुक्त खाते की आराजीयात है | इस सन्दर्भ में अपीलांट के अभिभाषक द्वारा हमारा ध्यान धारा 17 जाप्ता दीवानी की और

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
554/2020	नाथूराम / घनश्याम 2	

आकर्षित करा कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 152/2019 का सन्दर्भ देते हुये निवेदन किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 17 जाप्ता दीवानी के प्रावधानों का उल्लेख करते हुये स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि अचल सम्पत्ति अलग-अलग न्यायालयों के क्षैत्राधिकार में स्थित हो तो सम्बन्धित किसी भी न्यायालय में वाद सम्पूर्ण सम्पत्ति हेतु दायर किया जा सकता है | जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद स्वयं न सुनकर जिन निर्देशों के साथ लौटाया गया है |वह न्यायसंगत नही है | अत: अधीनस्थ न्यायालय की वाद पर दर्ज अपीलाधीन टिप्पणी को निरस्त करते हुये निर्देश दिये जावे की वे सम्पूर्ण आराजी हेतु सुनवाई करे |

हमने बहस अभिभाषक अपीलांट पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया | धारा 17 जाप्ता दीवानी जो कि इसी बिन्दु पर है कि यदि "सम्पत्ति अलग-अलग न्यायालयों के क्षैत्राधिकार में स्थित हो तो वाद किसी भी न्यायालय में जो उन आराजीयात से सम्बन्धित हो, में प्रस्तुत किया जा सकता है | अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिवनारायण बनाम मानिकलाल में उनके समक्ष विचाराधीन अपील संख्या 152/2019 में इस सन्दर्भ में विस्तुत विवेचन के साथ निर्णय पारित करते हुये अंकित किया है कि "यदि अचल सम्पत्तिया अलग-अलग न्यायालयों के क्षैत्राधिकार में स्थित हो तो किसी भी न्यायालय जिसके स्थानिय क्षैत्राधिकार में सम्पत्तिया स्थित हो वाद दायर किया जा सकता है |" जिससे स्पष्ट रूप से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो वादी का वाद लौटाये जाने का आदेश दिया गया है, वह क़ानूनी प्रावधानों के विरुद्ध होने से निरस्त किया जाता है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर चौमु को निर्देश दिये जाते है कि सन्दर्भित वाद वादी द्वारा पुन: उनके समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर उस पर विधिवत सुनवाई कर निस्तारित करे | साथ ही अभिभाषक अपीलार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे एक प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र इस आशय का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद के साथ प्रस्तुत करे की उनके द्वारा अन्य न्यायालय जिसके क्षैत्राधिकार में अन्य

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
554/2020	रामुराम / धनेशराम 3	
	सम्बंधित अचल आराजीयात पड़ती है के क्षैत्राधिकार का उपयोग नहीं किया गया है।	
	अपील फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मूल वाद की पत्रावली अभिभाषक अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु लौटाई जावे।	
	आदेश आज दिनांक 30/12/20 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	
	राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	मूलवाद की पत्रावली प्राप्त की 30.12.2020